मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 07/07/2012

आदेश

क्रमांक/6265/MGNREGS-MP/NR-3/2012– म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आदेश क्रमांक 3314/एनआरईजीएस–म.प्र./स्था./एनआर–2/एफ–522/2010 भोपाल, दिनांक 03.04.2010 द्वारा 14 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एवं म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 5438/MGNREGS-MP/NR-3/2012 भोपाल, दिनांक 06.06.2012 द्वारा 07, इस प्रकार 21 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स की स्थापना की गई है। उक्त प्रोजेक्ट मैंनेजमेंट यूनिट्स केवल मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कार्य करने हेतु अधिकृत किए गए थे।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों का सीधे संपादन कर रही है तो दूसरी ओर पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा संपादित किए जा रहे निर्माण कार्यों पर तकनीकी पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन एवं नियंत्रण का कार्य भी कर रही है जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत संपादित किए जा रहे निर्माण कार्यों का तकनीकी नियंत्रण मुख्य कार्य है। अतः राज्य शासन द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक 5440/MGNREGS-MP/NR-3/2012 भोपाल, दिनांक 06.06.2012 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों पर बेहतर तकनीकी नियंत्रण सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से यह आदेश दिये गये हैं कि जिलों में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय कार्यालयों तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स के बीच कार्यक्षेत्र के अनुसार कार्यभार का विभाजन इस प्रकार किया जावे किं अपने–अपने कार्यक्षेत्र में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय कार्यालय के रूप में कार्य करें इसी प्रकार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के संभागीय कार्यालय भी उन्हें निर्धारित कार्यक्षेत्र में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के रूप में कार्य करें।

उपरोक्त आदेशों की निरंतरता में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के उपसंभागों के कार्यक्षेत्र हेतु निम्नानुसार व्यवस्था आदेशित की जाती है:

1. जिस प्रकार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट उन्हें निर्धारित कार्यक्षेत्र में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री (संभागीय कार्यालय) के रूप में कार्य करेंगे, उसी प्रकार प्रत्येक पीएमयू हेतु स्वीकृत सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर (पीएमयू हेतु स्वीकृत सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर का एक पद पीएमयू कार्यालय के लिये रहेगा, शेष पद का अधिकारी, फील्ड पर तैनात किया जायेगा) भी उन्हें निर्धारित कार्यक्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के रूप में कार्य करेंगे।
2. विद्यमान अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालयों में स्वीकृत पद एवं पीएमयू कार्यालयों के लिये स्वीकृत पदों के मध्य जिले के भीतर कार्यालयीन एवं तकनीकी स्टाफ का समायोजन अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया जायेगा।

3. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं सहायक परियोजना प्रबंधक मुख्यमंत्री सड़क, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के बीच कार्यक्षेत्र का विभाजन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के मुख्य अभियंता द्वारा किया जावेगा।
4. वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स के परियोजना प्रबंधक एवं सहायक परियोजना प्रबंधकों से संबंधित स्थापना का कार्य यथावत म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा सम्पन्न किया जाता रहेगा।

(अरुणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ0क्र0 / 6266 / MGNREGS-MP/NR-3/2012 भोपाल, दिनांक 07/07/2012

प्रतिलिपिः

1 आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
2 आयुक्त, पंचायतराज संचालनालय, भोपाल।
3 आयुक्त, जनसंपर्क, म.प्र. भोपाल।
4 मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा(पूर्व/पश्चिम), विकास आयुक्त कार्यालय, म.प्र.।
5 कमिश्नर, समस्त संभाग।
6 अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल समस्त।
7 कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला..
8 मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत.......................
9 कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग..
10 संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, आधारताल, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
11 विकास आयुक्त कार्यालय की समस्त शाखाएं।
12 निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
13 निज सचिव, माननीय राज्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।

प्रमुख सचिव,
म0प्र0 शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग